

शोभित चमार एवं एक अन्य

बनाम

बिहार राज्य

4 मार्च, 1998

[जी. टी. नानावटी एवं एस. पी. कुर्दुकर, न्यायमूर्तिगण]

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 302 - हत्या - दुर्लभतम मामला - अपीलकर्ताओं (अपीलकर्ता-2 एवं अपीलकर्ता-1) को धारा 302, 149, 380 एवं 460 के तहत एक परिवार के सभी छह पुरुष सदस्यों की डकैती एवं हत्या के लिए दोषी ठहराया गया जिनमें 8 वर्ष एवं 10 वर्ष के दो नाबालिग बच्चे भी शामिल थे - अपीलकर्ता-1 को सभी प्रत्यक्षदर्शियों के सामान्य बयान के आधार पर मृत्युदंड दिया गया था - प्रकट साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलकर्ता-1 ने यह भी उकसाया था कि मृतक के परिवार के किसी भी पुरुष सदस्य को जीवित नहीं छोड़ा जाना चाहिए - एक प्रत्यक्षदर्शी ने स्वीकार किया कि घटना के समय अपीलकर्ता-1 के हाथ में कोई आग्नेयास्त्र नहीं था - लेकिन सभी प्रत्यक्षदर्शियों ने लगातार बयान दिया कि अपीलकर्ता-2 ने आग्नेयास्त्र से उन सभी छह व्यक्तियों पर गोली चलाई थी जिनकी मृत्यु हो गई - तुरंत- अपीलकर्ता-2 को गलत धारणा थी कि मृतकों में से एक उसके भाई एवं भतीजे की हत्या के लिए जिम्मेदार था - अपीलकर्ता-2 एवं अपीलकर्ता-1 का आपस में कोई संबंध नहीं है - केवल अपीलकर्ता-2 का मामला ही दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आएगा। विचारण न्यायालयों द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखा गया - अपीलकर्ता-1 की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया-आपराधिक वाद-सजा-मृत्युदंड- दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 354(3)।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 :

धारा 313 - प्रक्रिया के अनुपालन न करने का आरोप धारा 313 के तहत आरोपी के बयान को दर्ज करने के संबंध में - आरोप पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया

गया - अभिनिर्धारित: जब तक आरोपी को कोई गंभीर नुकसान सिद्ध न हो जाए, दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दी जा सकती - ऐसा कोई नुकसान सिद्ध नहीं हुआ - अभिनिर्धारित: मुकदमे को दूषित नहीं कहा जा सकता - आपराधिक वाद - दंड संहिता, 1860, धारा 302, 149, 380 एवं 460।

धारा 235(2) विचारण न्यायालय- आरोपी को सजा के प्रश्न पर सुनवाई का अवसर देने का अनिवार्य कर्तव्य-दोषसिद्धि के बाद, आरोपी को एक सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया एवं उसके बाद उन्हें सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद एवं साथ ही आरोपी के अधिवक्ता को पूरी तरह से सुनने के बाद, मृत्युदंड सुनाया गया-यह माना गया कि धारा 235(2) के अनुपालन न करने के आधार पर आरोपी को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ।

दंडशास्त्र- सजा- न्यायालय को सजा सुनाते समय अपराध एवं अपराधी को ध्यान में रखना चाहिए। अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर सजा सुनाते समय अपराध में संलिप्तता एवं क्रूरता की मात्रा के आधार पर आरोपियों के बीच अंतर किया जा सकता है।

जांच के बाद अपीलकर्ता एवं तीन अन्य आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149, 380 एवं 460 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत किए गए अपराधों के लिए वाद चलाया गया। मुकदमे से पहले, साक्ष्य से पता चला कि अपीलकर्ता-1 ने परिवार के किसी भी पुरुष सदस्य को जीवित न रखने का आग्रह किया था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने स्वीकार किया कि घटना के समय अपीलकर्ता-1 के हाथ में कोई आग्नेयास्त्र नहीं था। लेकिन सभी प्रत्यक्षदर्शियों ने गवाही दी कि अपीलकर्ता-2 ने आग्नेयास्त्र से उन सभी छह लोगों पर गोली चलाई, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद अपीलकर्ताओं (अपीलकर्ता-2 एवं अपीलकर्ता-1) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149, 380 एवं 460 के तहत दंडनीय अपराधों एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी पाया। विचारण न्यायालय ने दो अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। अपीलकर्ताओं एवं उनके

अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, विचारण न्यायालय ने दोनों अपीलकर्ताओं को मृत्युदंड दिया एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के तहत उच्च न्यायालय को मामला भेजा। उच्च न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद मामले को स्वीकार कर लिया एवं दोनों अपीलकर्ताओं को दिए गए मृत्युदंड की पुष्टि की तथा अपीलकर्ता एवं राज्य द्वारा दायर आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया। अतः अपीलकर्ताओं ने यह अपील दायर की है।

इस अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने...

अभिनिर्धारित: 1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के उल्लंघन के आधार पर दोषसिद्धि को चुनौती देना, पहली बार इस अपील में तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि अपीलकर्ता यह साबित न कर दें कि उन्हें कोई हानि हुई है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों पर जोर दिया एवं इस साक्ष्य के संदर्भ में प्रासंगिक प्रश्न अपीलकर्ताओं से पूछे गए। यदि इन गवाहों के साक्ष्य स्वीकार्य पाए जाते हैं, तो दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है, जब तक कि अपीलकर्ता यह साबित न कर दें कि उनके कारण कोई हानि हुई है। ऐसा कोई हानि साबित नहीं किया गया। [129-जी-एच; 130-ए]

रामा शंकर सिंह बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, एआईआर (1962) एससी; (1962) 2 सीआरएल एलजे 296; सुरेश चंद्र बहरी बनाम बिहार राज्य, [1995] अनुपूरक 1 एससीसी 80 एवं बिजय चंद्र पात्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1952] एससीआर 202, पर अवलंबन किया गया।

तारा सिंह बनाम राज्य, [1951] एससीआर 729; अजमेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1953] एससीआर 418; महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह, [1992] 3 एससीसी 700 एवं भालींदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1994] 1 एससीसी 726, विशिष्ट।

2. इस मामले में, विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का फैसला सुनाने के बाद, दोनों अपीलकर्ताओं को एक सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया एवं उन्हें सजा के प्रश्न

पर सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता को भी सजा के प्रश्न पर पूरी तरह से सुना गया। [125-ई-जी]

सांता सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1976] 4 एससीसी 190 एवं *अलाउद्दीन मियां बनाम बिहार राज्य*, [1989] 3 धारा 5, विशिष्ट।

3.1. साक्ष्यों के आधार पर, संलिप्तता एवं क्रूरता की मात्रा के आधार पर अंतर करना होगा, जिसका सजा तय करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह सर्वविदित है कि सजा तय करते समय न्यायालय को अपराध एवं अपराधी दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। [134-एच; 135-ए]

3.2. अपीलकर्ता-2 मुख्य अपराधी/भ्रष्ट था जिसने अपनी बंदूक से दो निर्दोष बच्चों सहित सभी छह व्यक्तियों पर गोली चलाई। उसके मन में अपने भाई एवं भतीजे की हत्या के संदेह के आधार पर बदला लेने की गहरी इच्छा थी, जिसने मृतकों के परिवार के एक सदस्य द्वारा की गई हत्याओं के बारे में उसे प्रेरित किया एवं उसने मृतकों के खिलाफ बदला लेने के लिए छह मृतकों को बेहद क्रूर, जघन्य एवं बर्बर तरीके से मार डाला। अपीलकर्ता-2 की ओर से प्रत्यक्षदर्शियों को ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि इन मृतकों में से किसी ने भी उसके भाई एवं भतीजे की हत्या में कोई भूमिका निभाई थी एवं किसी भी हालत में, दो नाबालिग बच्चों (10 साल एवं 8 साल) की उम्र को देखते हुए, यह दूर-दूर तक भी संदेह नहीं किया जा सकता था कि वे हमलावर हो सकते हैं। अपीलकर्ता-2 न केवल उस व्यक्ति के परिवार को सबक सिखाना चाहता था, जिसके प्रति उसके मन में बैर था, बल्कि अपने अहंकार एवं शारीरिक शक्ति को संतुष्ट करने के लिए परिवार के सदस्यों के मन में आतंक भी पैदा करना चाहता था। अपराध करने के बाद अपनी जीत का जश्न मनाते हुए अपीलकर्ता-2 ने अत्यंत अमानवीय व्यवहार प्रदर्शित किया। इस पृष्ठभूमि में, विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों ने उसे मृत्युदंड देने में कोई गलती नहीं की है। [135-डी-जी]

3.3. अपीलकर्ता-1, जिसका अपीलकर्ता-2 से कोई संबंध नहीं था, संभवतः अपीलकर्ता-2 की तरह प्रतिशोध एवं क्रूरता के उसी स्तर का शिकार नहीं था। इस अंतर के कारण, अपीलकर्ता-1 का मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, उसे दी गई मृत्युदंड की सजा उचित नहीं थी। विचारण न्यायालयों द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाता है। [135-बी-डी]

शिव राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1998, 1 एससीसी 149, पर भरोसा किया गया।
बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1980] 2 एससीसी 684; मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1983] 3 एससीसी 470 एवं धनंजय चटर्जी बनाम राज्य पश्चिम बंगाल, [1994] 2 एससीसी 220, का संदर्भ दिया गया।

आपराधिक अपीलक्षेत्राधिकार: वर्ष 1997 का आपराधिक अपील संख्या 1084 इत्यादि।

पटना उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील संख्या 186/1996 में दिनांक 26.9.97 के निर्णय एवं आदेश से ।

अपीलकर्ता की ओर से - आर.के. जैन, अजय भल्ला एवं सुश्री अब्बा आर. शर्मा

उत्तरदाता की ओर से - रंजीत कुमार एवं बी.बी. सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस.पी. कुरुदुकर द्वारा सुनाया गया:

दो दोषी कैदियों/अपीलकर्ताओं, अर्थात् शिव प्रकाश पांडे (अपीलकर्ता-1) एवं शोभित चमार (अपीलकर्ता-2) ने प्रारंभ में जेल के माध्यम से इस न्यायालय को एक याचिका भेजी थी, जिसे विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 3576/1997 के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसमें अनुमति प्रदान की गई थी एवं एक आपराधिक अपील संख्या 1084/1997 पंजीकृत की गई थी। इसी बीच, दोषी कैदियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित उसी निर्णय एवं दोषसिद्धि आदेश के विरुद्ध विशेष

अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 3729-30/1997 दायर की, अतः यहां भी अनुमति प्रदान की जाती है। चूंकि ये दोनों आपराधिक अपीलें सजा पाए कैदियों द्वारा दायर की गई हैं, जिनमें उच्च न्यायालय के उस फैसले की वैधता एवं शुद्धता को चुनौती दी गई है, जिसमें छह हत्याओं के लिए दोनों अपीलकर्ताओं की मौत की सजा की पुष्टि की गई है, इसलिए इन अपीलों का निपटारा इस सामान्य फैसले द्वारा किया जा रहा है।

2. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई कहानी इस प्रकार है:-

जगनाथ पांडे (दिवंगत) रोहतास जिले के दुर्गावती पुलिस थाना के अंतर्गत तिरोजपुर गांव के निवासी थे। उनके पास एक मकान एवं एक कृषि भूमि थी, जिसमें एक बोरवेल एवं एक कमरा था। वर्तमान मामले की घटना उनके आवासीय मकान में 1 एवं 2 जनवरी, 1989 की मध्यरात्रि में लगभग 1.00 बजे घटी। हरिद्वार पांडे, जगनाथ पांडे के पुत्र हैं। घटना वाले दिन, जगनाथ पांडे एवं उनके पुत्र राम इकबाल पांडे (दोनों दिवंगत) उस रात सोने के लिए कमरे में गए थे। हरिद्वार पांडे एवं राम इकबाल पांडे के अलावा, जगनाथ पांडे के परिवार में उनके चचेरे भाई तारानाथ पांडे (दिवंगत), भतीजा महेंद्र पांडे (दिवंगत), 10 वर्षीय अनिल पांडे एवं 8 वर्षीय सुनील पांडे, पोते (दिवंगत) एवं अन्य महिला सदस्य शामिल थीं।

वे घर में थे। शाम का खाना खाने के बाद, ये सभी लोग अपने-अपने कमरों में सोने चले गए। लगभग आधी रात को, भजुरामा देवी (अभियोजन साक्षी 2) जो अपने कमरे में सो रही थीं, उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी एवं राम इकबाल पांडे की आवाज सुनी, जो प्यास लगने के कारण उनसे दरवाजा खोलने का अनुरोध कर रहा था। भजुरामा देवी (अभियोजन साक्षी 2) ने सद्भावना से दरवाजा खोला, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ, जब उन्होंने 15 से 20 बदमाशों को घर में जबरदस्ती घुसते देखा। ये सभी बदमाश फिर उस कमरे का दरवाजा खटखटाने लगे जहाँ लालमुनि देवी (अभियोजन साक्षी 6), सूचक, सो रही थीं। तब तक उन्हें एहसास हो गया था कि कुछ डाकू घर में घुस चुके हैं। वे लगातार दरवाजा खटखटा रहे थे एवं घरवालों को गाली-गलौज भी करने लगे। जब उन्होंने दरवाजा खोला, तो

4 से 5 डाकू उनके कमरे में घुस आए। लालमुनि देवी (अभियोजन साक्षी 6) खतरे को भांपकर कमरे से बाहर आई एवं देखा कि राइफलों से लैस 15 से 20 डाकू उनके घर में घुस चुके हैं एवं इसके बाद वे कमरों से कीमती सामान इकट्ठा करके उन्हें बंडलों में बांधने लगे। उन्होंने तभी अपने ससुर जगमथ पांडे एवं राम इकबाल पांडे को आंगन में पीछे से हाथ बंधे हुए देखा। लालमुनि देवी (अभियोजन साक्षी -6) तुरंत अपने बच्चों एवं परिवार के अन्य सदस्यों को *दुमुहा* नामक दूसरे कमरे में ले गई। कुछ डकैतों ने घर के सदस्यों से बंदूक एवं गहने कहाँ रखे हैं, यह बताने को कहा, अन्यथा उनके बच्चों को मार दिया जाएगा। लालमुनि देवी (अभियोजन साक्षी 6) ने बताया कि उन्हें बंदूक के बारे में जानकारी नहीं थी एवं उन्होंने डकैतों से परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान न पहुँचाने का अनुरोध किया। उन्होंने शिव प्रकाश पांडे (अपीलकर्ता-1), शोभित चमार (अपीलकर्ता-2) एवं राम दुलार की पहचान की, जिनके बारे में कहा जाता है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई थी।

3. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि अपीलकर्ता-2 ने लालमुनि देवी (अभियोजन साक्षी -6) से अनिल पांडे एवं सुनील पांडे नामक दो बच्चों को छीनना शुरू कर दिया। जब लालमुनि देवी ने विरोध किया, तो अपीलकर्ता-2 ने राइफल के डंडे से उन पर हमला किया एवं बच्चों को उनसे जबरदस्ती छीनकर आंगन में ले आया। शिव प्रकाश पांडे (अपीलकर्ता-1) एवं शोभित चमार (अपीलकर्ता-2) ने फिर अपनी बंदूकों से गोलियां चलाईं, जिससे जगन्नाथ पांडे एवं राम इकबाल पांडे की मौत हो गई। गोली लगने एवं चोटों के कारण वे जमीन पर गिर पड़े एवं मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। अपीलकर्ता-2 दो या तीन डाकुओं के साथ घर से बाहर चला गया एवं कुछ समय बाद वापस आया। साथ में वह तारानाथ पांडे एवं महेंद्र पांडे को भी आंगन में गोली मार दी गई। दोनों नाबालिग बच्चे बुरी तरह डरे हुए थे एवं जब वे रोने लगे, तो कुछ डाकुओं ने उन्हें छोड़ देने को कहा। जब उन्हें छोड़ दिया गया, तो वे लालमुनि देवी (अभियोजन साक्षी 6) के पास गए एवं उनकी गोद में बैठ गए। फिर

एक डाकू ने कहा कि इन बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि जब वे बड़े होंगे, तो वे बदला ले सकते हैं, इसलिए उन्हें भी खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद, अपीलकर्ता-2 बच्चों को लालमुनि देवी (अभियोजन साक्षी 6) से जबरदस्ती आंगन में ले आया एवं फिर बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाई। दोनों बच्चे गोली लगने से घायल हो गए एवं मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद, अपीलकर्ता-2 ने लालमुनि देवी (अभियोजन साक्षी 6) के पति हरिद्वार के बारे में पूछताछ की एवं उनसे उसे बुलाने के लिए कहा ताकि उसे भी मार दिया जाए। अपीलकर्ता-2 ने कहा कि हरिद्वार परिवार के सभी पुरुषों को खत्म कर देना चाहिए ताकि वह अपने भाई एवं भतीजे की हत्याओं का बदला लेने से संतुष्ट हो सके। इस घटना के दौरान, अभियोजन पक्ष के अनुसार, डकैतों ने राम इकबाल पांडे की पत्नी बिंदू देवी (अभियोजन साक्षी- 4) पर भी हमला किया। छह हत्याएं करने एवं जगन्नाथ पांडे की महिला सदस्यों पर हमला करने के बाद, डकैते 12,000 रुपये की कीमती चीजें लेकर घर से फरार हो गए एवं 'जय दुर्गा मां' के नारे लगाए।

4. दुर्गावती पुलिस थाना तिरोजपुर गांव से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लालमुनि देवी (अभियोजन साक्षी -6) 2 जनवरी, 1989 को सुबह लगभग 6:30 बजे पुलिस थाना गई एवं प्राथमिकी (प्रदर्श 5) दर्ज कराई। प्राथमिकी में शिव प्रकाश पांडे (अपीलकर्ता-1), शोभित चमार (अपीलकर्ता-2), राम दुलार (अपीलकर्ता-3) एवं अन्य अज्ञात डकैतों के नाम सहित सभी विवरण दिए गए हैं। इसमें आगे कहा गया है कि शोभित चमार (अपीलकर्ता-2) उनके परिवार से द्वेष रखता था क्योंकि उसे संदेह था कि हरिद्वार उसके भाई एवं भतीजे की हत्याओं के लिए जिम्मेदार था।

5. अपराध दर्ज करने के बाद, दुर्गावती पुलिस थाना के प्रभारी अरुण शुक्ला (अभियोजन साक्षी 11) गाँव के लिए रवाना हुए एवं वहाँ पहुँचकर उन्होंने जाँच शुरू की। छह शवों का पंचनामा करने के बाद, उन्होंने शवों को शवपरीक्षण के लिए भभुआ अस्पताल भेज दिया। इसके बाद, जाँच अधिकारी ने आवश्यक जाँच की एवं विभिन्न गवाहों के बयान भी

दर्ज किए। जाँच पूरी होने के बाद, अपीलकर्ताओं एवं दो अन्य दोषमुक्त किए गए आरोपियों, खोभरू चमार एवं नारद चमार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149, 380 एवं 460 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए वाद चलाया गया।

6. अपीलकर्ताओं ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया एवं बयान दिया कि वे निर्दोष हैं एवं घटना के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस अपराध में झूठा फंसाया गया है दुश्मनी के कारण। उन्होंने गोहनी कौर, जो अपीलकर्ता-2 के बड़े भाई की पत्नी हैं, द्वारा हरिद्वार, राम इकबाल पांडे एवं अन्य के खिलाफ अपने पति की हत्या के संबंध में दर्ज कराई गई शिकायत की प्रति भी प्रस्तुत की। कुछ अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए जो हरिद्वार परिवार एवं आरोपियों के बीच दुश्मनी को दर्शाते हैं।

7. मुकदमे की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से भजुरामा देवी (अभियोजन साक्षी 2), बिंदु देवी (अभियोजन साक्षी 4), लालमुनि देवी (अभियोजन साक्षी 6) एवं लच्छी देवी (अभियोजन साक्षी 7) प्रत्यक्षदर्शी थीं। सुमित्रा देवी (अभियोजन साक्षी 1) से पूछताछ की गई यह साबित करने के लिए कि डकैतों ने महेंद्र पांडे एवं तारानाथ पांडे को उनके घर से जबरन अगवा कर लिया था एवं उसके तुरंत बाद उन्हें पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई है। उन्होंने अपीलकर्ता-1, अपीलकर्ता-2 एवं राम दुलार चमार के नाम बताए, जो उन्हें अगवा करके ले गए थे। डॉ. जय शंकर मिश्रा (अभियोजन साक्षी 9) से शवपरीक्षण प्रतिवेदन एवं छह मृतकों की मृत्यु के कारण को साबित करने के लिए पूछताछ की गई।

8. विचारण न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, 16 फरवरी, 1996 के अपने फैसले एवं आदेश में, अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 302/149, 380 एवं 460 के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराया। हालांकि, विचारण न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष खोभरू चमार (अपीलकर्ता-3) एवं नारद चमार (अपीलकर्ता-4) के खिलाफ

किसी भी आरोप को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा, एवं परिणामस्वरूप उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। अपीलकर्ताओं एवं उनके अधिवक्ताओं को सजा के प्रश्न पर सुनने के बाद, विचारण न्यायालय ने दोनों अपीलकर्ताओं को मृत्युदंड दिया एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के तहत उच्च न्यायालय को एक संदर्भ भेजा।

9. इस संदर्भ को मृत्यु संदर्भ संख्या 1/1996 के रूप में क्रमांकित किया गया, जिसकी सुनवाई बिहार राज्य एवं अपीलकर्ताओं द्वारा क्रमशः दायर आपराधिक अपील संख्या 118 एवं 136/1996 के साथ की गई। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद अपने निर्णय एवं आदेश दिनांक 26 सितंबर, 1997 को इस संदर्भ को स्वीकार कर लिया एवं दोनों अपीलकर्ताओं को दी गई मृत्युदंड की पुष्टि की एवं अपीलकर्ताओं एवं बिहार राज्य द्वारा दायर आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय एवं दोषसिद्धि एवं सजा के आदेश के विरुद्ध, अपीलकर्ताओं ने इसकी वैधता एवं शुद्धता को चुनौती देते हुए ये अपीलें दायर की हैं।

10. इन अपीलों के समर्थन में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.के. जैन ने तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235(2) का पूर्णतः उल्लंघन हुआ है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को सजा के प्रश्न पर नहीं सुना, क्योंकि उन्हें यह नहीं बताया गया था कि उन्हें सजा के प्रश्न पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार है। न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वह अपीलकर्ताओं को इस संबंध में अवगत कराए एवं ऐसा न करने से अपीलकर्ताओं को गंभीर नुकसान हुआ है, एवं इसलिए, उन्हें दी गई सजा अनुचित है।

11. यह स्वीकार किया जाता है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व उनकी पसंद के अधिवक्ता द्वारा किया गया था। विचारण न्यायालय ने 16 फरवरी, 1996 को खुली न्यायालय में दोषसिद्धि का फैसला सुनाया एवं फिर मामले को 23 फरवरी, 1996 तक स्थगित कर दिया ताकि पक्षों एवं अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं को सजा के प्रश्न पर सुना जा सके। फैसले का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:-"

"चूंकि दोनों आरोपियों ने सलाखों के पीछे से ही मुकदमे का सामना किया है, इसलिए दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है एवं उन्हें 23 फरवरी, 1996 को पेश किया जाएगा, जब सजा के बिंदु पर मामले की सुनवाई होगी।"

तदनुसार, अपीलकर्ताओं को उक्त स्थगित तिथि पर न्यायालय में पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी एवं उसके बाद सजा का आदेश सुनाया। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं को सजा के प्रश्न पर सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था। इस संबंध में विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष कोई शिकायत नहीं की गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235(2) के उल्लंघन के संबंध में तर्क पहली बार हमारे समक्ष उठाया गया। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में हमारा ध्यान इस न्यायालय के *सांता सिंह बनाम पंजाब राज्य*, [1976] 4 एससीसी 190 के फैसले की ओर दिलाया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235(2) के सही दायरे पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने टिप्पणी की:-

"यह प्रावधान स्पष्ट एवं निर्विवाद है एवं इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं है। इसके अनुसार, सत्र न्यायालय के समक्ष प्रत्येक मुकदमे में, सबसे पहले अभियुक्त के अपराध के संबंध में निर्णय होना चाहिए। न्यायालय को, सर्वोच्च रूप से, अभियुक्त को दोषी या दोषमुक्त करने का निर्णय देना होगा। यदि अभियुक्त दोषमुक्त हो जाता है, तो आगे कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन यदि वह दोषी पाया जाता है, तो न्यायालय को "आरोपी को सजा के प्रश्न पर सुनना होगा एवं फिर कानून के अनुसार उसे सजा सुनानी होगी। जब अभियुक्त को दोषी ठहराने का निर्णय दिया जाता है, तो उस चरण में, उसे सजा के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए एवं उसकी सुनवाई के बाद ही न्यायालय सजा सुनाने की कार्यवाही कर सकता है।"

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235(2) अनिवार्य है एवं इसका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। इसका पालन न करना मात्र

एक अनियमितता नहीं होगी जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 के तहत सुधारा जा सके। यह एक ऐसा मामला था जिसमें आरोपी पर दोहरे हत्याकांड का आरोप था एवं मुकदमे की पूरी कार्यवाही के दौरान उसका प्रतिनिधित्व एक अधिवक्ता द्वारा किया गया था। जिस दिन फैसला सुनाया गया, उस दिन आरोपी का कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं था। सत्र न्यायाधीश ने उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया एवं उसे सजा के प्रश्न पर सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना मृत्युदंड दिया। इन्हीं तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने पाया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235(2) का पालन न करने से मृत्युदंड अस्थिर हो जाएगा। इसी दृष्टिकोण को न्यायालय ने अलाउद्दीन मियां एवं अन्य, शरीफ मियां एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, [1989] 3 एससीसी में दोहराया है।

5. यह सत्य है कि कंडिका 10 में इस न्यायालय ने कहा था:-

"चूंकि इस प्रावधान का उद्देश्य अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष सजा से संबंधित सभी प्रासंगिक आलेख प्रस्तुत करने का अवसर देना है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह प्रावधान लाभदायक है एवं इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से अनिवार्य है एवं इसे मात्र औपचारिकता नहीं माना जाना चाहिए।"

इस मामले में जो हुआ वह यह था कि विचारण न्यायालय ने 31 मार्च, 1987 को दोष सिद्ध होने का फैसला सुनाया एवं उसी दिन उनसे सजा के संबंध में कुछ कहने को कहा गया एवं उसके तुरंत बाद मृत्युदंड का आदेश सुनाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालयों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235(2) के उल्लंघन के संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी एवं इन्हीं परिस्थितियों में न्यायालय ने माना कि आरोपियों को सजा के संबंध में सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था एवं इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235(2) का उल्लंघन हुआ था। हमारे समक्ष मामले के तथ्य पूरी तरह से भिन्न हैं एवं वास्तव में, 16 फरवरी, 1996 को दोषसिद्धि का निर्णय सुनाए जाने के बाद, दोनों अपीलकर्ताओं को 23 फरवरी, 1996 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था एवं उन्हें

सजा के प्रश्न पर सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया था। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता को भी सजा के प्रश्न पर पूरी तरह से सुना गया था। इन परिस्थितियों में, हम पाते हैं कि इस न्यायालय के उपरोक्त दो निर्णयों का अनुपात लागू नहीं होगा। पूर्वाग्रह से संबंधित तर्क इस प्रकार मान्य नहीं होगा।

12. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तब यह तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ताओं के बयान दर्ज करने में अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह से अनियमित थी, क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा जिन साक्ष्यों एवं परिस्थितियों पर भरोसा किया गया था, उन्हें उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था एवं परिणामस्वरूप उन्हें स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं दिया गया था। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 का अनुपालन न करने से वाद अमान्य हो गया है एवं अपीलकर्ताओं को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

13. शोभित चमार (अपीलकर्ता-2) का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया बयान, जिसका उनके अधिवक्ता द्वारा अंग्रेजी में मुफ्त अनुवाद उपलब्ध कराया गया था, इस प्रकार है:-

प्र० क्या आपने गवाहों के बयान सुने हैं? गवाहों का आरोप है कि 11 जनवरी, 1989 की रात को शिव प्रकाश पांडे, शोभित चमार, खोभारे चमार, राम प्रताप चमार एवं नारद चमार एवं उनके अन्य साथियों ने राइफल एवं बंदूक से लैस होकर सूचक लालमुनि देवी के घर से गहने, कपड़े एवं नकदी लूटी, जो कि तिरोजपुर गांव, पुलिस थाना दुर्गावती, जिला रोहतास (वर्तमान में भभुआ जिले में) में स्थित है। क्या आपको इस बारे में कुछ कहना है?

उ० नहीं सर

प्र० गवाहों का यह भी आरोप है कि उस समय, स्थान एवं तारीख को आरोपी राम दुलार, शोभित एवं शिव प्रकाश ने जगन्नाथ पांडे, राम इकबाल पांडे, महेन्द्र पांडे, तारानाथ पांडे, साथ ही हरिद्वार पांडे के दो पुत्र अनिल पांडे एवं सुनील पांडे (सभी) की गोली मारकर हत्या कर दी। क्या आपके पास कुछ कहने के लिए है?

उ० नहीं सर

प्र० गवाहों का यह भी आरोप है कि घटना के समय, शिकायतकर्ता के घर के आंगन में एक बिजली का बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में उन्होंने आप सभी को पहचाना। क्या आपके पास कुछ कहने के लिए है?

उ० नहीं सर

प्र० क्या आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहेंगे?

उ० घटना वाले दिन मैं गाँव (अस्पष्ट) में था। क्योंकि हरिद्वार पांडे ने राम केवल आदि तीन लोगों की हत्या कर दी थी। इस डर से मैंने गाँव छोड़ दिया था।

14. अपीलकर्ताओं के उपरोक्त कथनों पर भरोसा करते हुए, श्री आर.के. जैन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि न्यायालय प्रश्न को ठीक से तैयार करने में विफल रहा, क्योंकि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में प्रकट होने वाली महत्वपूर्ण परिस्थितियों को अपीलकर्ताओं के समक्ष नहीं रखा गया था। श्री जैन ने *तारा सिंह बनाम राज्य*, [1951] एससीआर 729 में इस न्यायालय के निर्णय एवं विशेष रूप से पृष्ठ 733 पर की गई टिप्पणियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। यह एक ऐसा मामला था जिसमें आरोपी का बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 342 के तहत दर्ज किया गया था। आरोपी से पूछे गए प्रश्न निर्णय में पुनः प्रस्तुत किए गए थे, जो इस न्यायालय के अनुसार दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 342 का पर्याप्त अनुपालन नहीं थे। यह ध्यान देने योग्य है कि सत्र न्यायालय ने वही प्रश्न एवं उत्तर दोहराए जो दंडाधिकारी द्वारा अभियोजित चरण में आरोपी से पूछे गए थे। इसलिए, यह एक ऐसा मामला था जहाँ सत्र न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत आरोपी के बयान दर्ज नहीं किए। एवं इसलिए, इन परिस्थितियों में, न्यायालय ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। एवं परिणामस्वरूप, आरोपी को दी गई सजा एवं दोषसिद्धि को निरस्त कर दिया गया एवं मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए विचारण न्यायालय में वापस भेज दिया गया। हमारे समक्ष मामले में, अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से प्रत्यक्षदर्शियों के प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित था। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य समाप्त होने पर, विचारण न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य से संबंधित आवश्यक प्रश्न दोनों अपीलकर्ताओं से पूछे एवं उसके बाद उनके द्वारा दिए गए उत्तरों को दर्ज किया। इसलिए यह स्पष्ट है कि *तारा सिंह बनाम राज्य* (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय स्पष्ट रूप से भिन्न है।

15. *रामा शंकर सिंह एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य*, एआईआर (1962) एससी 1239 में, इसी तरह का एक प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष पुराने संहिता, 1898 के तहत विचार के लिए आया था एवं इस न्यायालय ने निर्णायक टिप्पणी की थी:-

"सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ताओं की जांच सरसरी तौर पर की गई थी, लेकिन जैसा कि अजमेर सिंह के मामले, [1953] एससीआर 418, एआईआर (1953) एससी 76 में कहा गया है, धारा 342 का पालन करने में प्रत्येक त्रुटि या चूक परीक्षण को अमान्य नहीं करती है। इस प्रकार की त्रुटियां सुधार योग्य अनियमितताओं की श्रेणी में आती हैं एवं यह प्रश्न कि क्या परीक्षण अमान्य हुआ है, प्रत्येक मामले में त्रुटि की मात्रा एवं इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आरोपी को कोई नुकसान हुआ है या होने की संभावना है।"

इसके बाद न्यायालय ने टिप्पणी की:-

धारा 342 के प्रावधानों का पालन न करना अनियमितता है; एवं जब तक इससे अन्याय सिद्ध न हो जाए, मात्र अनियमितता अपने आप में पुनर्विचार का आदेश देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपीलीय न्यायालय को हमेशा इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या किसी प्रक्रियात्मक प्रावधान का पालन न करने के कारण, जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, अभियुक्तों को कोई गंभीर हानि हुई है।

16. *महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह एवं अन्य*, [1992] 3 एससीसी 700 में, इस न्यायालय को इसी तरह के प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला था। यह एक ऐसा मामला था जो मुख्य रूप से आरोपी की पहचान, विभिन्न अन्य परिस्थितियों पर निर्भर था जो परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक श्रृंखला बनाती हैं एवं इकबालिया बयान पर। इसी संदर्भ में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी के विरुद्ध उपयोग की गई प्रत्येक आपत्तिजनक आलेख के संबंध में आरोपी से स्पष्टीकरण मांगने के लिए बाध्य है, भले ही इस संबंध में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य कितने भी कमजोर या कमजोर क्यों न हों। यह अपील महाराष्ट्र राज्य द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा कुछ आरोपियों के विरुद्ध पारित दोषमुक्त करने के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। अभिलेख की जांच करने पर, न्यायालय ने पाया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 का अनुपालन नहीं किया गया था एवं इसलिए, दोषमुक्त करने के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

17. *भालिंदर सिंह उर्फ राजू बनाम पंजाब राज्य*, [1994] 1 एससीसी 726, इस न्यायालय ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज करते समय जिन परिस्थितियों को उसके समक्ष नहीं रखा गया था, उनका उपयोग उसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता। यह ऐसा मामला था जिसमें अभियोजन पक्ष पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर निर्भर था। इसलिए, इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि

जिन परिस्थितियों को अभियुक्त के समक्ष नहीं रखा गया था, उनका उपयोग अभियोजन पक्ष द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मामले में उसे दोषी ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता। यह निर्णय इस मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर अपीलकर्ताओं के लिए सहायक नहीं है।

18. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.बी. सिंह ने हमारा ध्यान *सुरेश चंद्र बाहरी बनाम बिहार राज्य*, [1995] अनुपूरक 1 एससीसी 80 एवं अन्य संबंधित अपीलों में इस न्यायालय के निर्णय की ओर दिलाया। इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के दायरे पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:-

धारा 313 के प्रावधानों के अनुसार, न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह अभियुक्त से उसके विरुद्ध उपस्थित साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के संबंध में पूछताछ करे, ताकि उसे उस मामले की सटीक जानकारी हो सके जिसका उसे सामना करना है। लेकिन अभियुक्त के लिए यह दिखाना पर्याप्त नहीं होगा कि उससे किसी विशेष परिस्थिति पर पूछताछ या जांच नहीं की गई है, बल्कि उसे यह भी दिखाना होगा कि ऐसी जांच न होने से उसे वास्तव में एवं महत्वपूर्ण रूप से हानि हुई है एवं न्याय में बाधा उत्पन्न हुई है। दूसरे शब्दों में, यदि न्यायालय अनजाने में अभियुक्त से उसके विरुद्ध उपस्थित किसी भी अपराधसूचक परिस्थिति के संबंध में पूछताछ करने में चूक करता है, तो यह स्वतः ही मुकदमे को अमान्य नहीं कर सकता, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि उसे कोई हानि हुई है।

अंततः, न्यायालय ने यह टिप्पणी की:

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता को कोई हानि हुई है। इसलिए अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क में कोई दम नहीं है।

19. *बिज्जाय चंद पोत्रा बनाम राज्य*, [1952] एससीआर 202 में, इसी प्रकार का एक प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 342 के दायरे के संबंध में उठा था। इस प्रकाशित निर्णय में, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य समाप्त होने पर, अभियुक्त से केवल तीन प्रश्न पूछे गए थे, अर्थात्, (1) उसके विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में उसका बचाव क्या था, (2) क्या उसने कुमद पात्रा को चोटें पहुंचाई थीं एवं (3) क्या वह कोई साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त की ओर से दोषसिद्धि को चुनौती पर विचार करते हुए, इस आधार पर कि प्रासंगिक अभियोजन साक्ष्य एवं अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए अन्य आलेख को दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 342 के तहत उससे नहीं पूछा गया था, न्यायालय ने टिप्पणी की:-"

इस प्रकार के तर्क को खारिज करने के लिए, यह पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्त केवल यह दिखाए कि उससे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के अनुसार पूरी तरह से पूछताछ नहीं की गई है, बल्कि उसे यह भी दिखाना होगा कि ऐसी पूछताछ से उसे काफी नुकसान पहुंचा है।"

20. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उद्धृत सभी निर्णयों का अध्ययन किया है एवं हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के उल्लंघन के आधार पर दोषसिद्धि को चुनौती देना, जो पहली बार इस अपील में उठाया गया है, तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि अपीलकर्ता यह सिद्ध न कर दें कि उन्हें कोई हानि हुई है। वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले बताया गया है, अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों पर दृढ़तापूर्वक भरोसा किया एवं इन साक्ष्यों से संबंधित प्रासंगिक प्रश्न अपीलकर्ताओं से पूछे गए। यदि इन गवाहों के साक्ष्य स्वीकार्य पाए जाते हैं, तो दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है, जब तक कि अपीलकर्ताओं द्वारा यह सिद्ध न किया जाए कि उन्हें कोई हानि हुई है। हमारे समक्ष ऐसी कोई हानि सिद्ध नहीं की

गई है एवं इसलिए, हम अपीलकर्ताओं की ओर से उठाए गए तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

21. मामले की खूबियों पर विचार करते हुए, प्रारंभ में यह बताना आवश्यक है कि इस तथ्य को चुनौती नहीं दी गई थी कि विचाराधीन घटना में छह व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. जय शंकर मिश्रा (अभियोजन साक्षी 9) द्वारा विधिवत सिद्ध किए गए शवपरीक्षण प्रतिवेदन के रूप में चिकित्सा साक्ष्य से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि मृतकों को कई गोलियां लगी थीं, जिसके कारण उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। हमारी राय में विचारण न्यायालयों ने सही निर्णय लिया है कि विचाराधीन घटना में छह व्यक्तियों की हत्या हुई थी। हम इस संबंध में विचारण न्यायालयों द्वारा दिए गए निष्कर्ष का समर्थन करते हैं।

22. अपीलकर्ताओं की संलिप्तता साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से चार प्रत्यक्षदर्शियों, अर्थात् भजुरामा देवी (अभियोजन साक्षी 2), बिंदु देवी (अभियोजन साक्षी 4), लालमुनि देवी (अभियोजन साक्षी 6) एवं लच्छी देवी (अभियोजन साक्षी 7) के साक्ष्यों पर भरोसा किया। ये सभी अभियोजन साक्षी जगन्नाथ पांडे के घर में रह रहे थे एवं उन्होंने पूरी घटना देखी थी। लालमुनि देवी (अभियोजन साक्षी 6) ने 2 जनवरी, 1989 को सुबह लगभग 6:30 बजे प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई, जिसमें अपीलकर्ताओं एवं राम दुलार चमार के साथ-साथ कुछ अज्ञात डकैतों का नाम भी लिया गया था। इन सभी प्रत्यक्षदर्शियों ने अपीलकर्ताओं की पहचान की। उनके अनुसार, प्रकाश का स्रोत आंगन में जल रहे दो बिजली के बल्ब थे। ये सभी प्रत्यक्षदर्शी अभियोजन साक्षी अनपढ़ महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पुरुष परिवार के सदस्यों को खो दिया है। लालमुनि देवी (अभियोजन साक्षी 6) ने अपने बयान में घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अपीलकर्ताओं ने अन्य अज्ञात डकैतों के साथ आंगन में प्रवेश किया एवं छह लोगों को गोली मार दी, जिनमें से दो-दो ने एक-एक करके गोली मारी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई गोली लगने से। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने तीन हमलावरों की पहचान की जिनमें से दो

अपीलकर्ता हैं, आंगन में जल रहे बिजली के बल्बों की रोशनी में। उनके द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन उनके बयान की पूरी तरह से पुष्टि करती है।

23. भजुरामा देवी (अभियोजन साक्षी 2), जो मृतक राम इकबाल पांडे की माता हैं, ने बताया कि जब वह रात में अपने कमरे में सो रही थीं, तब उनके बेटे राम इकबाल पांडे (मृतक) ने दरवाजा खटखटाया एवं उनसे दरवाजा खोलने को कहा क्योंकि उन्हें प्यास लग रही थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला, तो 20 से 25 डकैत उनके बेटे राम इकबाल पांडे एवं जगन्नाथ ए पांडे (दोनों अब मृतक) के साथ घर में घुस आए, जिनके हाथ पीछे से बंधे हुए थे। शोभित चमार (अपीलकर्ता-2) एवं उसके साथियों ने हरिद्वार पांडे एवं बंदूक के बारे में पूछताछ की, एवं जब उन्होंने 'नहीं' में जवाब दिया, तो उन्होंने कीमती सामान लूटना शुरू कर दिया एवं बिंदु देवी (अभियोजन साक्षी 4) पर हमला किया। अचानक, अपीलकर्ता-2 ने अपनी बंदूक से गोलियां बरसा दीं, जिससे राम इकबाल पांडे एवं जगमथ पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों अपीलकर्ता फिर घर से बाहर गए एवं तारानाथ पांडे एवं महेन्द्र पांडे के साथ वापस आए, जिन्हें आंगन में खड़ा किया गया एवं उसके बाद गोलियां चलाई गईं, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घर की महिला सदस्य बुरी तरह से सहमी हुई थीं एवं वे प्रार्थना कर रही थीं कि परिवार के किसी भी सदस्य को न मारा जाए। लालमुनि देवी (अभियोजन साक्षी 6) के दोनों बेटे, लगभग 10 साल का अनिल पांडे एवं लगभग 8 साल का सुनील पांडे, उनसे छीन लिए गए। कुछ बदमाशों ने अपने साथियों से बच्चों को न मारने के लिए कहा, जिस पर अपीलकर्ता-1 ने अपने साथियों से बच्चों को न छोड़ने के लिए कहा क्योंकि जब वे बड़े होंगे, तो वे बदला लेंगे। इसी बीच, जो बच्चे अपनी माँ के पास गए थे, उन्हें अपीलकर्ताओं ने घसीटकर वापस लाया एवं उसके बाद शोभित चमार (अपीलकर्ता-2) ने उन पर गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों बच्चे गिर पड़े एवं उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अपीलकर्ताओं एवं उनके साथियों ने घर के कुछ सदस्यों पर हमला किया, जिन्हें चोटें आई थीं। सभी छह शव आंगन में पड़े मिले। अपीलकर्ताओं की ओर से इस

अभियोजन साक्षी से गहन प्रतिपरीक्षा की गई, लेकिन उसके साक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए कोई भी सबूत पेश नहीं किया जा सका। इस अभियोजन साक्षी का साक्ष्य पूरी तरह से त्रुटिहीन है एवं इस प्रकार स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि अपीलकर्ता एवं अन्य साथी 1 एवं 2 जनवरी, 1989 की रात को घर में घुसे थे। वे हथियारों से लैस थे एवं उनका उद्देश्य हरिद्वार परिवार के पुरुष सदस्यों को खत्म करना था एवं इसी के तहत उन्होंने छह लोगों की हत्या कर दी। बिन्दु देवी (अभियोजन साक्षी 4) एवं लच्छी देवी (अभियोजन साक्षी 7) की गवाही लगभग एक जैसी है एवं अपनी गवाही में उन्होंने कहा कि उन्होंने आंगन में जल रही रोशनी में अपीलकर्ताओं की पहचान की। उनकी गवाही सभी महत्वपूर्ण विवरणों में भजुरामा देवी (अभियोजन साक्षी 2) एवं लालमुनि देवी (अभियोजन साक्षी 6) की गवाही का समर्थन करती है।

24. विचारण न्यायालयों ने इन चारों चश्मदीदों के साक्ष्यों का बहुत सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। हमने भी ऐसा ही किया है एवं हमारी राय में विचारण न्यायालयों ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई गलती नहीं की है कि प्रश्नगत रात में, अपीलकर्ताओं ने अन्य डकैतों के साथ घातक हथियारों से हरिद्वार पांडे के घर में प्रवेश किया एवं हरिद्वार परिवार के पुरुष सदस्यों को खत्म करने के सामान्य उद्देश्य से एक गैरकानूनी सभा बनाई। इस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में, अपीलकर्ताओं ने आग्नेयास्त्रों का उपयोग करके छह लोगों की हत्या कर दी, प्रत्येक समूह में दो-दो लोग। पहचान न हो पाने के कारण विचारण न्यायालय ने खूहू चमार (अपीलकर्ता-3) एवं नारद चमार (अपीलकर्ता-4) को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। राम दुलार के संबंध में, यह कहा गया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान पुलिस मुठभेड़ में उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसके खिलाफ वाद समाप्त हो गया। उस रात घर में घुसने वाले अन्य बदमाशों की पहचान नहीं हो सकी एवं परिणामस्वरूप, उन्हें आरोपी के रूप में पेश नहीं किया जा सका।

25. विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए एवं उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए उपरोक्त निष्कर्षों में कोई खामी नहीं है। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हम इस निष्कर्ष से सहमत हैं एवं इसकी पुष्टि करते हैं। यह तथ्य कि दोनों अपीलकर्ता अन्य डकैतों के साथ घातक हथियारों से लैस होकर रात के समय आए थे, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे हरिद्वार पांडे के घर में मुख्य रूप से हरिद्वार पांडे को खत्म करने के सामान्य उद्देश्य से आए थे, क्योंकि उन पर शोभित चमार (अपीलकर्ता-2) के भाई एवं भतीजे की हत्या का संदेह था। यह देखकर कि हरिद्वार घर में नहीं था, अपीलकर्ताओं एवं गैरकानूनी सभा के अन्य सदस्यों ने मूल्यवान संपत्ति की डकैती की एवं उसके बाद शोभित चमार (अपीलकर्ता-2) ने हरिद्वार पांडे के परिवार के छह पुरुषों को गोली मार दी, जिनमें लगभग 10 एवं 8 वर्ष की आयु के दो निर्दोष बच्चे भी शामिल थे।

26. इस समय, भजुरामा देवी (अभियोजन साक्षी 2) के साक्ष्य का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक होगा, जिन्होंने अपीलकर्ता-1 की ओर से जिरह के दौरान स्वीकार किया कि उन्होंने ए-1 के हाथों में कोई हथियार नहीं देखा था। इन चारों प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता-1 का उद्देश्य अपीलकर्ता-2 एवं अन्य डाकुओं के साथ एक ही था, जो हरिद्वार पांडे के घर में घुस गए थे एवं हरिद्वार पांडे के ठिकाने का खुलासा करने एवं उनकी बंदूक सौंपने पर जोर दे रहे थे। अपीलकर्ता-1 ने जगन्नाथ पांडे एवं राम इकबाल पांडे को उनके हाथ पीछे से बांधकर आंगन में लाने में भी सक्रिय रूप से भाग लिया एवं उसके बाद अपीलकर्ता-2 ने अपनी राइफल से गोलियां चलाईं। अपीलकर्ता-1 को दी जाने वाली सजा पर विचार करते समय इस साक्ष्य का महत्व है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अपीलकर्ता आंगन छोड़कर चले गए एवं कुछ ही समय में तारानाथ पांडे एवं महेन्द्र पांडे के साथ वापस आए एवं उन्हें आंगन में खड़ा होने के लिए मजबूर किया। इसके बाद अपीलकर्ता-2 ने उन पर गोली चलाई एवं परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में उन्हें मार गिराया। अनिल पांडे एवं सुनील पांडे, जो यहां दुमुहा में बैठे थे, उन्हें अपीलकर्ता-2 घसीटते

हुए ले आया। बच्चों की उम्र को देखते हुए, कुछ डकैतों ने अपीलकर्ता-2 से उन्हें छोड़ने के लिए कहा एवं तदनुसार उन्हें छोड़ दिया गया। इसी बीच, अपीलकर्ता-2 ने बदमाशों से कहा कि वे बच्चों को न छोड़ें क्योंकि बड़े होने पर वे बदला लेंगे। इसके बाद अपीलकर्ता-2 एवं उसके साथी ने बच्चों को उनकी मां लालमुनि देवी (अभियोजन साक्षी 6) की गोद से जबरदस्ती छीन लिया एवं इसके बाद अपीलकर्ता-2 एवं उसके साथी ने उन्हें गोली मार दी। अपीलकर्ता-2 ने फिर दावा किया कि उन्होंने हरिद्वार पांडे के सभी पुरुष सदस्यों को खत्म कर दिया है एवं अब उसका दिल ठंडा हो गया है। इसके बाद वे विजय का जश्न मनाते हुए एवं ईश्वर के नाम पर सफलता के नारे लगाते हुए घटनास्थल से चले गए।

27. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.के. जैन ने बी. यद्यपि यह तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा उक्त अपराध को अंजाम देने के किसी सामान्य उद्देश्य/इरादे को साबित करने में विफल रहा है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यदि उनका बदला लेने का कोई सामान्य उद्देश्य/इरादा होता, तो वे महिलाओं को नहीं छोड़ते। यह दलील चार चश्मदीनों के प्रत्यक्ष साक्ष्य के मद्देनजर हमें प्रभावित नहीं करती।

28. इसके बाद अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि मृतकों के करीबी रिश्तेदारों सहित चार प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य को स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि अपीलकर्ता-2 एवं हरिद्वार के बीच संबंध तनावपूर्ण एवं शत्रुतापूर्ण हो गए थे क्योंकि अपीलकर्ता-2 को दृढ़ विश्वास था कि हरिद्वार पांडे उसके भाई एवं भतीजे की हत्या के लिए जिम्मेदार था। इसी शत्रुता के कारण प्रत्यक्षदर्शियों ने हरिद्वार पांडे के इशारे पर अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाया। यह दलील भी निराधार है। विचारण न्यायालयों ने चार प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य की बहुत सावधानीपूर्वक जांच की है एवं उसे विश्वसनीय पाया है। हम विचारण न्यायालयों द्वारा किए गए साक्ष्य के

मूल्यांकन से सहमत हैं एवं इसलिए, हम वर्तमान अपराध में दोनों अपीलकर्ताओं की संलिप्तता के संबंध में दिए गए निष्कर्ष को बरकरार रखते हैं।

29. सजा के प्रश्न पर आते हुए, विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने दोनों अपीलकर्ताओं को उनकी संलिप्तता, उनके साझा उद्देश्य, क्रूरता की मात्रा एवं उनके द्वारा प्रदर्शित प्रतिशोधी आचरण को ध्यान में रखते हुए मृत्युदंड दिया। विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का भी उल्लेख किया था। उच्च न्यायालय ने दोनों अपीलकर्ताओं की मृत्युदंड की पुष्टि करते हुए इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख किया: (1) *बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य*, [1980] 2 एससीसी 684, (2) *मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य*, [1983] 3 एससीसी 470 एवं (3) *धनंजय चटर्जी/धना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य*, [1994] 2 एससीसी 220। इस न्यायालय द्वारा इन तीनों निर्णयों में प्रतिपादित कानून पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामला उन दुर्लभतम मामलों में से एक है जहाँ दोनों अपीलकर्ताओं को मृत्युदंड देना उचित माना जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड के विरुद्ध अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत की गई कम करने वाली परिस्थितियों पर भी विचार किया। कंडिका 34, 35 एवं 36 में, उच्च न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से उठाए गए तर्कों का सारांश प्रस्तुत किया एवं निष्कर्ष निकाला कि विचारण न्यायालय ने दोनों अपीलकर्ताओं को मृत्युदंड देने में कोई गलती नहीं की है एवं तदनुसार संदर्भ स्वीकार कर लिया तथा अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया। इस न्यायालय द्वारा इन तीनों निर्णयों में प्रतिपादित कानून पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामला उन दुर्लभतम मामलों में से एक है जहाँ दोनों अपीलकर्ताओं को मृत्युदंड देना उचित माना जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड के विरुद्ध अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत की गई कम करने वाली परिस्थितियों पर भी विचार किया। कंडिका 34, 35 एवं 36 में, उच्च न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की

ओर से उठाए गए तर्कों का सारांश प्रस्तुत किया एवं निष्कर्ष निकाला कि विचारण न्यायालय ने दोनों अपीलकर्ताओं को मृत्युदंड देने में कोई गलती नहीं की है एवं तदनुसार संदर्भ स्वीकार कर लिया तथा अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया।

30. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.के. जैन ने, न्यायमूर्ति भगवती द्वारा बचन सिंह (उपरोक्त) मामले में दिए गए अल्पमत के निर्णय पर अत्यधिक भरोसा जताया। न्यायाधीश भगवती द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान में विश्व में मृत्युदंड के विरुद्ध रुझान है। इसके अलावा, वर्तमान अपराध को दुर्लभ मामलों में से एक नहीं कहा जा सकता। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अपीलकर्ताओं को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, दोनों अपीलकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी। यह तर्क बहुमत के उस निर्णय की पूरी तरह से अनदेखी करता है जिसने दुर्लभ मामलों में मृत्युदंड की संवैधानिकता को स्वीकार किया है।

31. प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य एवं इस मामले में सिद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अब हम दोनों अपीलकर्ताओं के संबंध में सजा के प्रश्न पर अलग-अलग विचार करेंगे। हम पहले शिव प्रकाश पांडे (अपीलकर्ता-1) को दी गई सजा पर विचार करेंगे। यह निःसंदेह सत्य है कि शिव प्रकाश पांडे (अपीलकर्ता-1) को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत एवं साथ ही चार प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा दिए गए सामान्य बयान के आधार पर मृत्युदंड दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि बदमाशों ने घटना के दौरान छह लोगों को गोली मार दी थी। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलकर्ता-1, अपीलकर्ता-2 एवं अन्य बदमाशों ने जगन्नाथ पांडे एवं राम इकबाल पांडे के साथ मिलकर, उनके हाथ पीछे बांधकर, राम इकबाल पांडे को पानी पीने के बहाने दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया। जब भजुरामा देवी (अभियोजन साक्षी 2) ने दरवाजा खोला, तो अपीलकर्ता-1 एवं उसके साथी घर

में घुस गए। अपीलकर्ता-1 ने यह भी उकसाया कि हरिद्वार परिवार के किसी भी पुरुष को जिंदा न छोड़ा जाए। एक गैरकानूनी सभा का सदस्य होने के नाते, एक सामान्य उद्देश्य साझा करने के कारण, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत छह हत्याओं का दोषी पाया गया। लेकिन, भजुरामा देवी (अभियोजन साक्षी 2) ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि घटना के समय अपीलकर्ता-1 के पास कोई हथियार नहीं था। अन्य तीन चश्मदीदों ने निस्संदेह एक सामान्य बयान दिया है कि अपीलकर्ता-2 एवं अन्य बदमाशों ने छह लोगों पर गोली चलाई, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। चारों चश्मदीदों के बयान एक समान हैं कि सिद्धभित चमार (अपीलकर्ता-2) ने अपने हथियार से उन सभी छह लोगों पर गोली चलाई, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस सबूत के आधार पर, संलिप्तता एवं क्रूरता की मात्रा के आधार पर अंतर करना होगा, जिसका सजा तय करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह तय है कि सजा सुनाते समय, न्यायालय को अपराध एवं अपराधी को ध्यान में रखना होगा। शोभित चमार (अपीलकर्ता-2) हरिद्वार एवं उसके परिवार के सदस्यों के प्रति द्वेष रखता था क्योंकि उसका मानना था कि उसके भाई एवं भतीजे की हत्याओं के लिए हरिद्वार जिम्मेदार था। शिव प्रकाश पांडे (अपीलकर्ता-1), जैसा कि अभिलेखों से प्रतीत होता है, शोभित चमार (अपीलकर्ता-2) से संबंधित नहीं है, इसलिए संभवतः उसके मन में शोभित चमार (अपीलकर्ता-2) के समान प्रतिशोध एवं क्रूरता की भावना नहीं थी। इस अंतर को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में, शिव प्रकाश पांडे (अपीलकर्ता-1) का मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है। विचारण न्यायालयों ने इस अंतर को नजरअंदाज कर दिया। अतः, हमारा यह सुविचारित मत है कि शिव प्रकाश पांडे (अपीलकर्ता-1) को दी गई मृत्युदंड की सजा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए उचित नहीं थी। उनका मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए हम शिव प्रकाश पांडे (अपीलकर्ता-1) की धारा 302/149 दंड संहिता के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हैं,

लेकिन विचारण न्यायालयों द्वारा उन्हें दी गई मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाता है।

32. शोभित चांदर (अपीलकर्ता-2) के मामले में, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि वह मुख्य अपराधी/अपराधी था जिसने दो निर्दोष बच्चों सहित सभी छह व्यक्तियों पर अपनी बंदूक से गोलियां चलाईं। उसके मन में अपने भाई एवं भतीजे की हरिद्वार पांडे द्वारा की गई हत्याओं के संदेह के आधार पर गहरी प्रतिशोध की भावना थी, जिसने उसे हरिद्वार परिवार के सदस्यों से बदला लेने के लिए प्रेरित किया एवं उसने हरिद्वार परिवार के छह सदस्यों की अत्यंत क्रूर, जघन्य एवं बर्बर तरीके से हत्या कर दी। अपीलकर्ता-2 की ओर से चश्मदीनों को ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि इन मृतकों में से किसी ने भी उसके भाई एवं भतीजे की हत्या में कोई भूमिका निभाई थी। अनिल पांडे एवं सुनील पांडे की उम्र को देखते हुए, यह दूर-दूर तक भी संदेह नहीं किया जा सकता था कि वे हमलावर हो सकते हैं। शोभित चमार (अपीलकर्ता-2) न केवल हरिद्वार के परिवार वालों को सबक सिखाना चाहता था, बल्कि अपने अहंकार एवं शारीरिक बल का प्रदर्शन करने के लिए हरिद्वार के परिवार वालों के मन में दहशत भी पैदा करना चाहता था। अपराध करने के बाद अपनी जीत का जश्न मनाते हुए अपीलकर्ता-2 ने अत्यंत अमानवीय व्यवहार प्रदर्शित किया। इसी पृष्ठभूमि में, हमारा यह मत है कि विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों ने उसे मृत्युदंड देने में कोई गलती नहीं की है।

33. बिहार राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.बी. सिंह ने हमारा ध्यान शिव राम एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, संबंधित अपीलों सहित [1998] 1 एससीसी 149 में इस न्यायालय के हालिया फैसले की ओर दिलाया। यह निर्णय तथ्यों के आधार पर भी काफी हद तक समान है।

34. श्री जैन कोई भी ऐसा कारण नहीं बता सके जिससे हमें अपीलकर्ता-2 की मृत्युदंड की सजा में बदलाव करने के लिए बाध्य किया जा सके। हमारी राय में, विचारण

न्यायालयों ने शोभित चमार (अपीलकर्ता-2) को मृत्युदंड देने में सही फैसला किया था, क्योंकि उनका मामला स्पष्ट रूप से दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है। इसलिए हम शोभित चमार (अपीलकर्ता-2) की मृत्युदंड की सजा की पुष्टि करते हैं।

35. दोनों अपीलकर्ताओं को अन्य मामलों में, अर्थात् भारतीय दंड संहिता की धारा 380 एवं 460 के तहत, दोषी ठहराया जाना भी बरकरार रखा गया है। शिव प्रकाश पांडे (अपीलकर्ता-1) को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया जाना एवं सजा सुनाई जाना निरस्त किया जाता है, जबकि शोभित चमार (अपीलकर्ता-2) को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया जाना एवं सजा सुनाई जाना बरकरार रखा गया है।

36. परिणामस्वरूप, शोभित चमार (अपीलकर्ता-2) की दोषसिद्धि एवं मृत्युदंड, जो विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया था एवं संदर्भ पर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, को बरकरार रखा जाता है एवं उसकी आपराधिक अपील खारिज कर दी जाती है। शिव प्रकाश पांडे (अपीलकर्ता-1) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत दोषी ठहराए जाने का निर्णय एवं आदेश, जो विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया था एवं जिसकी अपील उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, को बरकरार रखा जाता है, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा दी गई मृत्युदंड, जिसे संदर्भ पर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है।

अपील खारिज कर दी गई।

आर.के.एस

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।